भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 586

उत्तर देने की तारीख : 23.07.2025

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

586. श्री यूसुफ पठान:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य में पीएमजेवीके के अंतर्गत संचालित प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य में पीएमजेवीके कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त परियोजना की व्यवहार्यता को समझने के लिए कोई प्रभाव आकलन अध्ययन कराया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक मांग-आधारित योजना है और इसके लिए धनराशि का आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्व-निर्धारित आवंटन के बजाय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। पीएमजेवीके योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि राज्य को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के नियमों का पालन करना होगा। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि सरकारी धन का उचित और पारदर्शी तरीके से उपयोग किया जाए।

चालू वित्त वर्ष में, PMJVK के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है, क्योंकि राज्य ने धनराशि वितरण के लिए आवश्यक PFMS अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है। एक बार इन शर्तों को पूरा करने के बाद, राज्य धनराशि जारी करने के लिए पात्र हो जाता है।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य में पीएमजेवीके योजना के अंतर्गत संचालित प्रमुख परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** पर है।

(ग) यद्यपि यह योजना अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर केंद्रित है, PMJVK के अंतर्गत निर्मित बुनियादी ढाँचे का लाभ किसी एक समूह तक सीमित नहीं है। इसकी अपेक्षा, ये सुविधाएँ क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे उनका धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह समावेशी दृष्टिकोण समतामूलक विकास, सामाजिक सद्भाव और इलाके में सभी के लिए आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने को बढ़ावा देता है।

(घ) नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 में किए गए एक मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया कि PMJVK योजना ने स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और कौशल प्रशिक्षण संस्थानों जैसे बुनियादी ढाँचे का समर्थन करके अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास संबंधी कमियों को दूर करने में योगदान दिया है। वर्ष 2018-19 में योजना के पुनर्गठन से महिला-केंद्रित परियोजनाओं पर अधिक जोर देने सहित कई सुधार हुए हैं। अध्ययन में यह भी सुझाव दिया गया है कि इस योजना का दायरा सभी राज्यों के अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। तदनुसार, 15वें वित्त आयोग की अवधि के तहत संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, PMJVK को अब वित्तीय वर्ष 2022-23 से पूरे देश में लागू किया जा रहा है।

*****

अनुबंध-I

श्री यूसुफ पठान द्वारा पूछे गए "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" विषय के संबंध में दिनांक 23.07.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 586 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

जिले का नाम	परियोजनाओं का नाम	कुल स्वीकृत लागत (लाख रु. में)	स्वीकृत केंद्रीय अंश (लाख रु. में)	कुल जारी धनराशि (लाख रु. में)	स्वीकृत इकाइयों की संख्या	पूर्ण की गई इकाइयों की संख्या
नादिया	हरिघाटा में आईटीआई	1035.64	500.00	500.00	1	1
मालदा	हरिश्चंद्रपुर-I में आईटीआई	1033.79	500.00	500.00	1	1
दक्षिण 24 परगना	डायमंड हार्बर और बरुईपुर में पॉलिटेक्निक संस्थान की दो इकाइयाँ	2460.00	2460.00	2460.00	2	2
उत्तर दिनाजपुर	इटाहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज	1230.00	1230.00	1230.00	1	1
उत्तर 24 परगना	बशीरहाट-I में पॉलिटेक्निक कॉलेज	1230.00	1230.00	1230.00	1	1
मालदा	कालियाचक- I ब्लॉक के अंतर्गत सुजापुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज	1230.00	1230.00	1230.00	1	1
हावड़ा	उलूबेरिया-I में पॉलिटेक्निक	1230.00	1230.00	1230.00	1	1
बीरभूम	रामपुरहाट-II में पॉलिटेक्निक कॉलेज	1230.00	1230.00	1230.00	1	1

*****